कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी

E.Mail. pdpwduki@yahoo.com Fax No- 01374-222108 Tel No- 01374-222108

पत्रॉक 747 / 02सं0 दिनॉक 29/05/2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
कोट बंगला, वन प्रभाग,
उत्तरकाशी।

विषयः— राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के डुण्डा – धनारी – सेम – मुखेम मोटर मार्ग का पटुड़ी से आगे सेम नागराजा मन्दिर तक निर्माण। (लम्बाई 10.00 किमी0)

सन्दर्भः— आपका पत्रांक 3887 / 12—1 कोट बंगला दिनांक 05 / 05 / 2021

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक इस मोटर मार्ग की स्वीकृति 2488 / 111(2)/06-3 मा0मु0घो0 / 2008 दिनांक 25 / 07 / 2008 के द्वारा 10 किमी0 लम्बाई मे रू0 367.50 लाख मात्र की स्वीकृति प्राप्त है।

यह मोटर मार्ग पटुड़ी से आगे 3 किमी0 कच्चा निर्मित है। इसके अन्तिम छोर से उपरोक्त मोटर मार्ग प्रारम्भ होता है जिसमे 2.50 किमी भाग मे फलदार वृक्षों के बगीचे व नकदी फसल की खेती की जाती है। उक्त मोटर मार्ग का निर्माण न होने से ग्रमीणों को अपनी उपज को मण्डी मे पहुचाने के लिये जो ढुलान आदि का भाड़ा अधिक होने के कारण बाजार मे उचित मूल्य नही मिल पायेगा। जिस हेतु मा0 विधायक गंगोत्री विधान सभा क्षेत्र द्वारा कार्य के शीघ्र निर्माण हेतु संस्तुति की गई है जिसमे इस मार्ग के निर्माण से उपली रमोली व जोगथ पट्टी के अधिकांश गांवों का सम्पर्क धनारी क्षेत्र से हो जायेगा। साथ ही उक्त कार्य का धार्मिक महत्व पांचवे धाम के तौर पर ख्याति प्राप्त है। उक्त स्वीकृति स्थानीय निवासी / ग्रामीणों की आस्था को देखते हुए सेम नागराजा मन्दिर से 2.00 किमी0 पूर्व तक ही दी गई थी। क्योंकि मान्यता के अनुसार पैदल यात्रा आस्था का प्रतीक है। उत्तरकाशी जनपद एक सीमांत पर्वतीय क्षेत्र भी हैं, जिस कारण इस मोटर मार्ग के निर्माण से तीर्थाटन व पर्यटन को बढावा मिलने के साथ ही यमुना घाटी व इसके आसपास के श्रद्वालुओं को कम दूरी वाले आसान मोटर मार्ग का लाभ मिलेगा। भविष्य मे यह मोटर मार्ग टिहरी जनपद से सेम मुखेम को जाने वाले मार्ग मे संयोजित होने के फलस्वरूप राज्य मार्ग संख्या— 15 का वैकल्पिक मार्ग भी होगा। प्लायन रोकने हेतु राज्य सरकार द्वारा मार्गों को सुविधा देना प्राथमिकता मे शामिल है। सड़क संयोजक्ता न होने की दशा मे होने वाले प्लायन से इसके आसपास के ग्रामों की **Ghost village** होने की सम्भवना बनी है, जिससे उत्तराखण्ड सरकार की प्लायन रोकने की रणनीति का पालन नही हो पायेगा। मार्ग की स्वीकृति 2008 मे प्राप्त है व इसी धनराशि मे पूर्ण योजना को सम्पादित किये जाने हेतु वन भूमि स्वीकृति शीघ्र प्राप्त होने पर कार्य स्वीकृत धनराशि से पूर्ण किया जा सकेगा।

अतः मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उपरोक्त के अनुसार महत्वपूर्ण बिन्दुओं को संज्ञान मे रखते हुए औचित्य पूर्ण आख्या उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

(इं0 प्रवीन कुश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
उत्तरकाशी।

पत्रॉक / दिनॉक / /2021

प्रतिलिपिः— 1— मा0 विधायक गंगोत्री, विधान सभा क्षेत्र को दिनांक 17 / 05 / 22 को आहूत बैठक के क्रम मे सूचनार्थ एंव अग्रिम आदेशार्थ प्रेषित।

2— सहायक अभियंता —II को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड़ लो0नि0वि0,